निगरानी / एलआर / 1642 / 2020 / पाली
प्रताप सिंह बनाम भंवर सिहं व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
09-09-2022	**एकल–पीठ** **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** ——— उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी श्री लोकेन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी श्री विकास पाराशर **आदेश** यह पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। अप्रार्थी सं.1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी के सह खातेदार देवीसिंह वगैरह थे, जिसमें से देवीसिंह के हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र शांतिलाल को बेचान होना बताते हुये सहायक भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 20–7–78 को देवीसिंह के स्थान पर शांतिलाल का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 द्वारा अति0 भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 9–12–83 द्वारा स्वीकार कतिपय निर्देशों के साथ सहायक भू अभिलेख अधिकारी को रिमाण्ड की गई। जिसके विरूद्ध शांतिलाल वगैरह ने अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो खारिज हो गई। ऐसी स्थिति में शांतिलाल का नाम हटाया जाकर अप्रार्थी सं.1 व 2 का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। शांतिलाल के कायम मुकाम की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये उपखंड अधिकारी बाली ने आदेश दिनांक 27–11–06 द्वारा अप्रार्थी सं.1 व 2 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार करते हुये खातेदार शांतिलाल का विलोपित कर उसके स्थान पर अप्रार्थी सं.1 व 2 का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकन करने के आदेश दिये। जिसकी पालना में नामांतरकरण सं. 464 दिनांक 28–12–06 स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी सं.1 व 2 के पूर्वज ने विवादित भूमि शांतिलाल को बेचान कर दी उसके पश्चात् उसी विवादित आराजी को दूसरी बार अप्रार्थी संख्यां 3 व 4 के पक्ष में बेचान कर नामांतरकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तस्दीक करवा दिया। भू प्रबंध की कार्यवाहीं के दौरान शांतिलाल को प्रथम क्रेता मानते हुये उसके नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी का इंद्राज किया गया एवं अप्रार्थी सं.3 व 4 द्वितीय क्रेता होने के कारण उनका आवेदन निरस्त किया गया। तत्पश्चात् विवाद को मिटाने के लिये प्रार्थी ने दिनांक 17–7–2000 को शांतिलाल से बएवज कीमत पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद ली जिसके आधार पर नामांतरकरण सं. 316 प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत हुआ। जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं.1 व 2 को प्रारम्भ से ही थी फिर भी प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया एवं विक्रेता को पक्षकार बनाते हुये एकतरफा में आदेश दिनांक 27–11–06 हासिल किया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र लगाया। जिसे उपखंड अधिकारी बाली ने स्वीकार कर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27–11–06 निरस्त कर दिया तथा प्रार्थी को मूल प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाकर उजने उज्र, ऐतराज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 27–11–06 की पालना में अप्रार्थी सं.1 व 2 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होने से विवादित भूमि तीसरी बार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सोहनलाल को बेचान की गई। जिसकी आड में क्रेता राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम अंकन कराना चाहते है। जिस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर राजस्व रिकोर्ड की वर्ष 2006 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की प्रार्थना की गई। उपखंड अधिकारी ने आदेश दिनांक 20–2–2020 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाली को आदेश दिनांक 19–6–2017 की पालना सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया। अप्रार्थी सं.2 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2020 को रिकॉल किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखंड अधिकारी ने आदेश दिनांक 2–3–2020 से प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पूर्व के आदेश दिनांक 20–2–2020 में स्पष्टीकरण करते हुये मूल प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में अपना उज्र/ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर पर निर्देशित करने हेतु तहसीलदार को प्रेषित कर पूर्व के आदेश दिनांक 20–2–2022 एक प्रकार से निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का आगे कथन है कि विवादित आराजी का बार बार बेचान होने के कारण पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन जरिये प्रार्थना पत्र किया गया था जिसकी पालना सुनिश्चित कराने हेतु तहसीलदार बाली को निर्देशित किया गया। बाद में अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उज्र/एतराज प्रस्तुत करने के आदेश देकर मूल प्रकरण में भाग लेने हेतु स्वतंत्र कर दिया। प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में तहसीलदार का कोई लेना देना नही है। विवाद दोनों पक्षकार के मध्य है, तहसीलदार किस प्रकार निर्देशित करेगा। उपखंड अधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपने मस्तिष्क का सहीं ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। अप्रार्थी सं.1 व 2 राजस्व रिकोर्ड में गलत इंद्राज का फायदा उठाकर बेचान करते जा रहे है जिससे विवाद उत्पन्न हो रहा है। उपखंड अधिकारी बाली ने धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः उसी आदेश पर अपना स्पष्टीकरण देते हुये विवाद को खुला छोड अप्रार्थीगण को राजस्व रिकोर्ड में फेरबदल की छूट प्रदान कर दी। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश है जो केस डिसाईडेड की परीभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी पक्ष के अधिकार तय नहीं किये है। मात्र तहसीलदार को मूल प्रार्थना में अप्रार्थी को पक्षकार बनाकर उज्र, एतराज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। जिसमें किसी प्रकार त्रुटि नहीं होने से पुनरीक्षण याचिका खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 236 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का निस्तारण पूर्व में दिनांक 27–11–06 को किया गया। जिसके पश्चात् प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा योग्य उपखंड अधिकारी के समक्ष एक पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–6–2017 से पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार आदेश दिनांक 27–11–06 अपास्त कर दिया तथा प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता को पक्षकार बनाकर उज्र एतराज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। जिसके सबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20–2–2020 जारी किया गया। उसके पश्चात् अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर एक आदेश दिनांक 2–3–2020 जारी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 20–2–2020 व 2–3–2020 तहसीलदार को लिखे गये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पत्र क्रमांक क्रमशः 102/20.02.2020 व 128/02.03.2020 है। इन पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये पत्र अपने आप में कोई न्यायिक आदेश नहीं है। इस प्रकार के पत्रों के जारी किये जाने हेतु यह अपेक्षित था कि वह किसी न्यायिक आदेश के अनुवर्तन में जारी होते, किंतु उपखंड अधिकारी बाली की पत्रावली से स्पष्ट प्रकट होता है कि उपखंड अधिकारी बाली द्वारा ऐसे कोई न्यायिक आदेश जारी नहीं किये गये हैं, जिनके अनुवर्तन में ये पत्र जारी किये गये है। इस प्रकार उपखंड अधिकारी द्वारा प्रार्थी प्रतापसिंह के प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी का न्यायिक रूप से न्याय–निर्णयन किये बिना ही पत्र क्रमांक 102 दिनांक 20–2–2020 जारी कर दिया एवं तत्पश्चात् उसके विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी फतेहसिंह आदि द्वारा पेश होने पर उसे भी न्यायिक रूप से निस्तारित किये बिना ही पत्र क्रमांक 128 दिनांक 2–3–2020 जारी कर दिया, जो कि स्पष्टतः विधि विरूद्ध है। यह पुनरीक्षण याचिका पत्र क्रमांक 128 दिनांक 2–3–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, हालांकि किसी प्रशासनिक पत्र के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नही है किंतु यह भी स्पष्ट है कि उक्त दोनों पत्र क्रमांक 102/20–02–2020 व 128/02–03–2020 के माध्यम से न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली ने न्यायिक शक्तियों का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जोकि स्पष्टतः उपखंड अधिकारी बाली द्वारा कारित judicial dishonesty है। अतः उक्त पत्र क्रमांक 102 दिनांक 20–2–2020 के सबंध भी स्वयंमेव पुनरीक्षण अधिकारिता का उपयोग करते हुये उपरोक्त विवेचन के क्रम में उपखंड अधिकारी बाली द्वारा जारी पत्र क्रमांक 102 दिनांक 20–2–2020 व 128 दिनांक 2–3–2020 पुर्णतः विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त एवं निरस्त किये जाते है तथा उपखंड अधिकारी बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी पर उभय पक्षों को विधि अनुसार सुनवाई कर उसका निस्तारण करें तथा उनके समक्ष लम्बित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुये आगामी कार्यवाहीं करें। उभय पक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 30–9–2022 को उपस्थित होंवे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्ष को आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया । **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	